कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2020 / 6934-35 दिनांकः– 17/11/2020

निमित्त,
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय :–जिला बांसवाड़ा के अंतर्गत पंचायत समिति कुशलगढ़ एवं सज्जनगढ़ के 399 गावों एवं 395 ढाणियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु वृहद पेयजल परियोजना निर्माण के कार्य में प्रभावित होने वाली 16.4546 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भः–उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रिय अधिकारी, जयपुर का पत्रांक 8B/Raj/08/18/2020/FC/32 दिनांक 10.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के द्वारा चाही गई सूचना प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6933 दिनांक 13.11.2020 के द्वारा यूजर एजेंसी को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में वांछित प्रत्युत्तर यूजर एजेंसी के पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 17.11.2020 (मूल प्रति संलग्न) से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। तद्नुसार वांछित सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

बि.सं.–1 According to FCA guidelines CA on equivalent Non Forest land is required. Accordingly CA scheme along with site suitability certificate, maps etc needs to be submitted.

प्रत्युत्तर– उक्त प्रकरण में 16.4546 हेक्टेयर समतुल्य NFL में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करवाए जाने हेतु पूर्व में CA Scheme प्रस्तुत की गई थी, किंतु वन विभाग हेतु आरक्षित की गई उक्त गैर वनभूमि में से मात्र 5.63 हेक्टेयर NFL ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करवाए जाने हेतु उपयुक्त पाये जाने से तद्नुसार 5.63 हेक्टेयर NFL में 5630 पौधे रोपित किए जाने हेतु Revised CA Scheme, SOI Toposheet Map, Digital Map, KML file एवं Land Sutaibility certificate for CA तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है। शेष बचे हुए पौधों के रोपण हेतु 22.00 हेक्टेयर DFL चिन्हित कर ली गई है, जिसकी CA Scheme, SOI Toposheet Map, Digital Map, KML file एवं Land Sutaibility certificate for CA तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है। उक्त सभी दस्तावेज ऑनलाईन भी प्रस्तुत कर दिये गये है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरि किशन सारस्वत)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प. 14( ) एफ.सी.ए. / उवसं / 2020 / 6934-35 दिनांकः– 17/11/2020

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खंड–प्रथम, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक शून्य दि. 17.11.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

D:\THE MOON\Mayank\PHED\PHED.docx